


कार्यालय कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक,  
म.प्र.शासन, खण्डवा संभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्यालयों की जानकारी

1. संगठन :-



2. कार्यक्षेत्र :-

- |   |   |
|---|---|
| 1. संभाग खण्डवा –<br>120, पंजाब कालोनी, खण्डवा<br>दुरभाष 0733-2226067               | जिला खण्डवा<br>जिला खरगोन<br>जिला बुरहानपुर<br>जिला बड़वानी                     |
| 2. उपसंभाग खण्डवा –<br>120, पंजाब कालोनी, खण्डवा<br>दुरभाष 0733-2226067             | तहसील खण्डवा<br>तहसील हरसुद<br>तहसील पुनासा                                     |
| 3. उपसंभाग खरगोन –<br>131, बिस्तान रोड़, खरगोन<br>दुरभाष 07282-232682               | तहसील खरगोन<br>तहसील सेगांव<br>तहसील भीकनगांव<br>तहसील महेश्वर<br>तहसील झिरन्या |
| 4. उपसंभाग बुरहानपुर–<br>सर्वोदय केलाग्रुप के पीछे बुरहानपुर<br>दुरभाष 07325-255284 | जिला बुरहानपुर<br>तहसील पंधाना  |
| 5. उपसंभाग बड़वाह –<br>06, स्टेशन रोड़, बड़वाह<br>दुरभाष 07280-222351               | तहसील बड़वाह<br>तहसील कसरावद  |
| 6. उपसंभाग बड़वानी –<br>न्यू कलेक्टोरेट भवन, बड़वानी                                | जिला बड़वानी  |

3. अधिकारी/कर्मचारियों के नाम व पदनाम

1. संभाग खण्डवा –

1. कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा)	–	श्री राजेश पाटीदार	(मो.नं. 9826037235)
2. लेखाधिकारी	–	श्री रामगोपाल दमाडे	
3. वरिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक	–	श्री हिरालाल कोष्ठा	
4. उपयंत्री	–	पदरिक्त	
5. शीघ्रलेखक	–	पदरिक्त	
6. सहायक ग्रेड-1	–	श्री एम.आर.जगताप	
7. कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक	–	पदरिक्त	
8. सहायक ग्रेड-2	–	श्री राजेन्द्र घोड़े	
9. सहायक ग्रेड-3	–	श्री आर.एन.महाजन	
10. सहायक ग्रेड-3	–	श्री सी.बी.कनेरे	
11. सहायक ग्रेड-3	–	पदरिक्त	
12. वाहन चालक		श्री डी.पी.शर्मा	(जिला पंचायत में संलग्न)
13. भृत्य		श्री हुकुमचंद रणभौरे	

2. उपसंभाग खण्डवा –

1. सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा)	–	श्री जी.एस.राठौर	(मो.नं. 9302122527)
2. उपयंत्री	–	श्री एस.के.अग्रवाल	
3. सहायक ग्रेड-2	–	श्रीमती कृष्णा चौधरी	
4. विद्युतकार	–	श्री गोपालदास भावसार	
5. जांचअनुचर	–	श्री जमनादास चढ़ार	

3. उपसंभाग खरगोन –

1. सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा)	–	श्री एम.आर.पटेल	(मो.नं. 9425088280)
2. उपयंत्री	–	पदरिक्त	
3. सहायक ग्रेड-2	–	श्री जे.सी.सोहनी	
4. विद्युतकार	–	श्री महेन्द्र बिल्लौरे	
5. जांचअनुचर	–	श्री देवीसिंग पाल	

4. उपसंभाग बुरहानपुर –

1. सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा)	–	श्री सी.एस. वास्कले	(मो.नं. 9425088280)
2. उपयंत्री	–	पदरिक्त	
3. सहायक ग्रेड-2	–	श्री प्रमोद भिड़े	
4. विद्युतकार	–	श्री रविन्द्र महाजन	
5. जांचअनुचर के विरुद्ध भृत्य	–	श्री संतोष उइके	

5. उपसंभाग बड़वाह –

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) | – | श्री एम.आर.पटेल(कार्यवाहक) (मो.नं. 9425088280) |
| 2. उपयंत्री                       | – | श्री एस.आई.अली                                 |
| 3. सहायक ग्रेड-2                  | – | श्री ओ.पी.पुल्लीगिरी                           |
| 4. विद्युतकार                     | – | श्री सोपान पाटिल                               |
| 5. जांचअनुचर                      | – | श्री चिंताराम मुकाती                           |
| 6. भृत्य                          | – | श्री अर्जुनसिंह परमार                          |

6. उपसंभाग बड़वानी–

- |                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) | – | श्री एम.जी.भाले (मो.नं. 9826769365) |
| 2. उपयंत्री                       | – | पदरिक्त                             |
| 3. सहायक ग्रेड-2                  | – | पदरिक्त                             |
| 4. विद्युतकार                     | – | पदरिक्त                             |
| 5. जांचअनुचर                      | – | पदरिक्त                             |

4. पदीय कर्तव्य

1. संभागीय कार्यालय –

1. विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 का प्रशासन।
2. म.प्र.विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 के तहत 100 के.वी.ए. तक के उत्पादकों के विद्युत शुल्क संबंधी समस्त कार्य एवं प्रदाय कर्ता के विद्युत शुल्क संबंधी समस्त कार्य।
3. म.प्र.अनुज्ञापन मण्डल विनियम 1960 के अंतर्गत 'ब' वर्ग अनुज्ञाओं एवं तारमिस्त्री संबंधी संभागीय स्तर का कार्य।
4. म.प्र.सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1972 के अंतर्गत स्थायी/अस्थायी छबिगृह संबंधी कार्य।
5. विद्युत दुर्घटनाओं की जांच एवं न्यायालयीन कार्यवाही।
6. संभागीय स्तर के समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में विभागीय प्रभारी अधिकारी।
7. धारा 127 के तहत अपीलेंट अथर्टी के सदस्य के रूप में कार्य।

2. उपसंभागीय कार्यालय –

1. भारतीय विद्युत नियम 1956 के अंतर्गत उपभोक्ता एवं वितरक की स्थापनाओं के निरीक्षण।
2. विद्युत दुर्घटनाओं का जांच कार्य।
3. विद्युत अनुज्ञाओं की जांच।
4. छबिगृह स्थायी/अस्थायी का निरीक्षण।
5. भारतीय विद्युत नियम 1956 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्यवाही।
6. 2500 के.वी.ए. तक के उत्पादकों का निरीक्षण एवं विद्युत शुल्क संबंधी जांच।
7. धारा 127 के तहत प्राप्त प्रकरणों में संयोजक के रूप में कार्य।